

31/10/2021

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारन
 खातिर बंधे आवे है। आज न्यायालय
 में प्रत्येक-प्रत्येक सुनान पर निरंतर
 कार आवेजे लडाकार वकील पत्रावली
 साक्ष्य भाग में काफी लंबी अवधि से
 जारी है। वकील पक्षकारन / वकील पक्षकार
 के खातिर बंधे आवे पर पत्रावली अंतर्गत
 आवेश 9 नियम 3 जा दा के तहत
 अवश्य खातिर व अदम्य पेशी में
 खातिर की जाने है। पत्रावली नंबर
 से काम की जाकर कौसल सुनान
 लेकर दाखिला हफ्ता है। नियम
 सुले न्यायालय में सुनाना जाकर
 मुझे हस्ताक्षर व न्यायालय सुनान
 से जारी किया गया।

KDW
 उपखण्ड अधिकारी
 सांभर लोक

